

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 118/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Manju Pandya W/o Sh. Ravindra Kumar Pandya Add- 73, Roshan nagar, Sector-
12, Savina, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

उपसचिव/लोक सूचना अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, राज.

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



निर्णय

दिनांक: 30/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपसचिव/लोक सूचना अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, राज. को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। जिससे सूचना न मिलने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अपीलार्थी की अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हेतु सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(i) के अन्तर्गत उपसचिव/लोक सूचना अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, राज. को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, परन्तु अपीलार्थी की अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर